[2026:RJ-JP:47622]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2086/2026
CNR: RJHC021049572026 | URN: CRLR / 3927U / 2026

Rajkumar S/o Ramjilal, Aged About 45 Years, R/o 1/79, Housing Board Colony, Dausa, Rajasthan

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Dharmi Lal Meena S/o Ghudyaram Meena, Aged About 59 Years, R/o Ram Nagar Colony, Kotwali (Dausa), Dausa, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Swapnil Singh Patel, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP with Mr. Anirudh Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/11/2026

याची/अभियुक्त की ओर से यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 438 व 442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, दौसा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 102/2025, उनवान सरकार बनाम राजकुमार आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी, जिसके माध्यम से याची/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2) सपठित धारा 3(5) तथा धारा 61(2), 49 भारतीय न्याय संहिता में आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया गया है।

Digitally signed by
MANISH SAINI
Date: 2026.11.25
17:47:54 IST

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त का कथन है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में किसी भी साक्षी द्वारा याची/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता दर्शित नहीं की गयी है। अनुसंधान के प्रक्रम पर याची/अभियुक्त से कोई मोबाईल फोन इत्यादि जब्त नहीं किया गया है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि याची/अभियुक्त ने परिवादी/आहत के साथ मारपीट करने के लिए अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र कारित किया हो और षड्यंत्र के अनुसरण में उपरोक्त अपराध कारित किया गया हो। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत धर्मीलाल के कथन उत्तरोत्तर अनुसंधान अधिकारी द्वारा मात्र इसलिए लेखबद्ध किये गये हैं, जिससे याची/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता को दर्शित किया जा सके। इस संदर्भ में पत्रावली पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे याची/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता दर्शित होती हो, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा याची/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि–अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2026 अपास्त किया जाकर याची/अभियुक्त के विरुद्ध पारित आरोप विरचित किये जाने के आदेश को अपास्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी तथा आक्षेपित आदेश व अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के उपरांत परिवादी के चोट

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

प्रतिवेदन के अनुसार उसके शरीर पर धारदार व कुन्द हथियार से चोटें आना प्रमाणित माना है। इसके अलावा फर्द जब्ती मोबाईल फोन अभियुक्त मुकेश के अवलोकन से भी याची/अभियुक्त द्वारा मजरूब धर्मी की फोटो मारपीट करने के संदर्भ में भेजना और इस बारे में वाट्सएप चैट पर दो मैसेज व तीन कॉल को घटना के सुसंगत समय की अवधि में डिलीट किया जाना पाया गया है।

इसके अतिरिक्त अभिलेख पर मजरूब धर्मीलाल के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत तितम्बा बयान लेखबद्ध किये गये हैं, जिसमें उसने यह उल्लेखित किया है कि वह राजकीय चिकित्सालय, दौसा में पदस्थापित है तथा नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार खींची ओपीडी इंचार्ज लगे हुए हैं, मुकेश गुर्जर कम्प्यूटर ऑपरेटर मुख्य भवन में पर्ची काउंटर पर लगा हुआ है। मुकेश गुर्जर ने व उसके साथ के 2–3 ऑपरेटर अपने ड्यूटी के समय पर काउंटर पर नहीं बैठते थे, जिससे मरीजों की लंबी लाईन लग जाती थी। इस पर धर्मीलाल ने मुकेश गुर्जर व राजकुमार खीचीं को ड्यूटी के समय पर सीट पर बैठकर काम करने के लिए टोका–टाकी की थी, इसी बात को लेकर वे आहत धर्मीलाल के साथ रंजिश रखते थे और इसी कारण उसके साथ लाठी–डंडों आदि से अन्य नामजद अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी।

इस प्रकार अभिलेख पर याची/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता के संदर्भ में अन्य अभियुक्त मुकेश के स्वयं के मोबाईल से मारपीट करने वाले व्यक्ति की फोटो भेजना व वॉट्सएप चैट, दो मैसेज व तीन कॉल्स अन्य सहअभियुक्तगण को करने के तथ्य अभिलेख पर आये हैं। इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याची/अभियुक्त की अपराध में किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई संबद्धता नहीं रही हो। इस प्रक्रम पर न्यायालय यह मत प्रकट नहीं कर सकता है कि प्रकरण में जो मोबाईल जब्त हुआ है और उसमें जो तथ्य पाये गये हैं, वे गलत हैं तथा आहत धर्मीलाल द्वारा धारा 180

बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत जो कथन पुलिस के समक्ष दिये गये हैं, वे याची/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता को दर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2026 द्वारा याची/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(2) सपठित धारा 3(5) तथा धारा 61(2), 49 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया गया है, उक्त आदेश में यह न्यायालय किसी प्रकार की विधि–विरुद्धता नहीं पाता है।

अतः ऐसी स्थिति में याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, दौसा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 102/2025, उनवान सरकार बनाम राजकुमार आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2026 की पुष्टि की जाती है।

याचिका से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, इस याचिका के साथ निस्तारित किये जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

Crt_14/D-A/5/MANISH SAINI